

प्रेषक,

जावेद उस्माना,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
- (2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक: १५ दिसम्बर, 2012

विषय: उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-143
भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति के रूप में प्रयोग न करना।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों, शैक्षणिक संस्थाओं आदि वित्तीय संस्थानों/बैंकों तथा विभिन्न नियामक संस्थाओं द्वारा भू-उपयोग के बारे में सूचना/प्रमाण पत्र मांगा जाता है। इस सम्बंध में विद्यमान भ्रान्तियों को दूर करने उद्देश्य से मुझे आपका ध्यान उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा-142 व 143 के उपबन्धों की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है।

(2) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-142 में निम्नानुसार व्यवस्थाएं दी गयी हैं :-

"धारा-142 :- भूमिधर का अपने खाते की कुल भूमि पर एकांतिक कब्जे का अधिकार-

- (1) संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी समस्त भूमि पर जिसका वह भूमिधर हो, एकांतिक कब्जा (Exclusive possession) का और उसका किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग करने का अधिकार होगा।
- (2) असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी समस्त भूमि पर जिसका वह ऐसा भूमिधर हो, एकांतिक कब्जा का और ऐसी भूमि का कृषि, उद्यानकरण या पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन, कुक्कुट पालन और सामाजिक वानिकी भी है से सम्बद्ध प्रयोजन के लिए उपयोग करने का अधिकार होगा।"

उक्त धारा-142 से स्वतः स्पष्ट है कि संक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर अपनी भूमि पर किसी भी प्रयोजन के लिये उपयोग करने हेतु स्वतंत्र हैं। इसके लिये उन्हें भूमि सम्बन्धी

कमरा:—

जमीनों (यथा उ.प्र. जमींदारी विन्नाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) के अन्तर्गत जमीन मालिक की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, अर्थात् ऐसी भूमि पर कोई उद्योग, निवास स्थान, आवासीय योजना आदि स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार के अनुमति या परिवर्तन अथवा अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है यदि 1950 अधिनियम के अन्तर्गत लागू मास्टर प्लान के द्वारा भू-उपयोग को अन्य किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट किया गया हो।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश जमींदारी विन्नाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के धारा-143 में निम्नानुसार व्यवस्थाएं दी गई हैं:-

धारा 143 :- खाते की भूमि का उद्योग अथवा निवास के प्रयोजनों के लिए प्रयोग-

- (1) जब कोई [संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर] अपने खाते या उसके किसी भाग को कृषि, उद्यानकरण अथवा पशुपालन, जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी है, से असम्बद्ध प्रयोजन के निमित्त प्रयुक्त करता है तो परगना का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर स्वयमेव अथवा प्रार्थना पत्र पर और एसा जाँच करने के पश्चात् जो नियत की जाय उस आशय का प्रख्यापन कर सकता है।
- [(1--क)] जब उपधारा (1) के अधीन कोई प्रख्यापन किसी खाते के भाग के सम्बन्ध में करता हो तो परगना का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर नियत शैली से ऐसे भाग को ऐसे प्रख्यापन के प्रयोजनों के निमित्त परिच्छिन्न (Demarcate) कर सकता है।]
- (2) उपधारा (1) में उल्लिखित प्रख्यापन के प्रदान पर (इस धारा से भिन्न) इस अध्याय के निदेश ऐसी भूमि के सम्बन्ध में उक्त [संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर] को लागू न रह जायेंगे और तदुपरान्त वह उक्त भूमि के उत्तराधिकार के विषय में ऐसी व्यक्तिगत विधि (Personal law) से जिसके वह अधीन हो, शासित होगा।
- [(3) जहाँ किसी संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारम्भ के पूर्व या उसके पश्चात् उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी अन्य निगम द्वारा ऐसे भूमिधर द्वारा धृत किसी भूमि की प्रतिभूति पर कोई ऋण दिया गया हो, वहाँ इस अध्याय के उपबन्ध (इस धारा को छोड़कर) ऐसी भूमि के सम्बन्ध में ऐसे भूमिधर पर लागू न रह जायेंगे और तदुपरान्त वह उक्त भूमि के उत्तराधिकार के विषय में ऐसी स्वीय विधि (Personal law) से, जिसके वह अधीन हो, शासित होगा।]

उपरोक्त धारा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जहाँ पर भी संक्रमणीय अधिकारों वाला

कमरा:—3


भूमिधर अपनी भूमि का उपयोग कृषि से भिन्न कार्य के लिए करता है तो परगने के भारसाधक सहायक कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से अथवा आवेदन पर यह घोषणा की जा सकती है कि अमुक भूमि उपरोक्तानुसार कृषि आदि कार्यों से भिन्न प्रयोजनों हेतु उपयोग में लायी जा रही है। इस घोषणा का तात्पर्य अनुमति से नहीं है क्योंकि संक्रमणीय भूमिधर को अपनी भूमि के किसी भी प्रकार के उपयोग हेतु किसी अनुमति अथवा पूर्व-घोषणा या कार्योत्तर घोषणा की आवश्यकता या विधिक बध्यता नहीं है।

धारा-143 में घोषणा का मात्र यह प्रभाव होता है कि प्रख्यापन के बाद प्रश्नगत भूमि पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अध्याय-आठ के प्राविधान लागू नहीं रहते हैं। तात्पर्य यह है कि भूमिधर के भौमिक अधिकारों का विनियमन उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अध्याय-आठ प्राविधानों के अनुरूप होना समाप्त हो जाता है जिसमें मुख्यतः प्रख्यापन के उपरान्त ऐसी भूमि पर उत्तराधिकार का विषय सम्बंधित भूमिधर पर लागू "पर्सनल ला" से शासित होता है।

(4) वर्तमान में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-143 के अधीन प्रख्यापन को कतिपय मामलों में त्रुटिपूर्ण तरीके से भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति के रूप में व्याख्यापित किया जा रहा है और ऐसी भ्रांति उत्पन्न की जा रही है कि संक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर की कृषि भूमि के औद्योगिक, शैक्षणिक, आवासीय अथवा अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग के लिये इस धारा के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति आवश्यक है। इस भ्रांति के कारण प्रदेश के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि धारा-143 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का प्राविधान वास्तविक रूप से भूमि के कृषि से भिन्न प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त होने के पश्चात् किये जाने वाले प्रख्यापन से सम्बंधित है और इस प्रकार यह ऐसे कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि उपयोग परिवर्तन की पूर्व अनुमति से सम्बंधित नहीं है। शासनादेश संख्या-478/एक-14-2012, दिनांक 16 मई, 2012 के प्रस्तर-1(5) में धारा-143 के प्रकरण अधिकतम एक माह की अवधि में निस्तारित किये जाने के स्पष्ट दिशा निर्देश दिये गये हैं।

(5) अतः अनुरोध है कि उपरोक्त प्रस्तर (2), (3) व (4) में स्पष्ट की गई स्थिति को संमस्त राजस्व अधिकारियों व अन्य विभागों के अधिकारियों के संज्ञान में लाने का कष्ट करें जिससे धारा-143 सम्बंधी भ्रांतियों के कारण प्रदेश के औद्योगिक विकास में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

भवदीय,


(जावेद हुसैनी)

मुख्य सचिव।